<u>न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

<u>जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 320/2026</u>

(C.N.R. UPET010007732026)

शिल्पी उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री अशोक, निवासी गढिया सुहागपुर, थाना जैथरा, जिला एटा। –––––आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–10/2026
धारा–191(2),191(3),103(1) बी0 एन 0 एस 0
थाना–जैथरा, जिला एटा।

<u>13.03.2026</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **शिल्पी** की ओर से मु०अ०सं० 10/2026, जुर्म अंतर्गत धारा **191(2),191(3),103(1) बी0 एन 0 एस 0**, थाना **जैथरा**, जिला एटा में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी राधेश्याम का पुत्र दीपक का, उसके ही गाँव की लडकी शिवानी पुत्री अशोक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 11.01.2026 को उसका पुत्र दीपक समय करीब 07:30 बजे रात्रि को शिवानी से मिलने गया था, जिसमें उसके गाँव के लोगो ने बताया की आपके बेटे को अशोक पुत्र रामसनेही, सतीश, जबर सिंह, विकास पुत्र अशोक, अशोक की पत्नी विटोली देवी व पुत्री शिल्पी पुत्री अशोक धारदार हथियारो से मार रहे है। वादी जब वहाँ पहुँचा तो वो लोग वहाँ से भाग गए। उसने देखा अशोक की पुत्री शिवानी मृत अवस्थां में विजयपाल की छत पर पडी है, जिसके शरीर पर खून था। वही पर उसका पुत्र दीपक घायल अवस्था में पडा था। वह अपने पुत्र को लेकर जिला अस्पताल लेकर आया, जिसको वहाँ मृत घोषित कर दिया, जिसकी गर्दन पर कटी हुई काफी गहरी चोट थी।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदिका की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है। उसे झूठा फँसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना का वादी कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है। कथित घटना में आवेदिका/अभियुक्ता की सगी बहिन शिवानी की हत्या हुई है, जिसमें आवेदिका/अभियुक्ता का कोई हाथ नही है। अभियोजन कहानी मात्र सहअभियुक्त अशोक के एक्स्ट्रा जुडीशियल कन्फेशन पर आधारित है। आवेदिका से कथित घटना से सम्बन्धित कोई भी वस्तु बरामद नही हुई है। अभियोजन के अनुसार एवं विवेचना में आवेदिका/अभियुक्ता का कथित हत्या से कोई एक्टिव रोल नही दर्शाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता अविवाहित महिला है तथा उसकी शादी भी तय हो चुकी है।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.13 16:37:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 12.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया द्वारा तर्क किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्ता है, जिसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपनी सगी बहन शिवानी एवं वादी के पुत्र दीपक की हत्या कारित कर दी। अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का तर्क किया गया।

केस डायरी के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता की सगी बहन मृतका शिवानी का प्रेम–प्रसंग उसके ही गांव के वादी के पुत्र मृतक दीपक से चल रहा था, जिसकी जानकारी आवेदिका सहित उसके सभी परिवारीजन पिता, माँ, भाई एवं अन्य लोगों को थी और उन्हें समझाया भी गया था। केस डायरी के अनुसार मृतका शिवानी एवं दीपक विजयपाल की छत पर बातें कर रहे थे, तभी सहअभियुक्त अशोक ने उन्हें देख लिया और सभी परिवारीजन को बुलाकर उनके हाथ पैर पकड़वाये एवं हाथ में लिये खुरपे से उनका गला काटकर उनकी निर्मम हत्या कारित कर दी।

मृतक दीपक की शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 8 चोटें आयीं है एवं मृतक की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व आयीं चोटों से पहुँचे सदमे एवं रक्तश्राव के कारण होना अंकित है। मृतका शिवानी की शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 9 चोटें आयीं है एवं मृतक की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व आयीं चोटों से पहुँचे सदमे एवं रक्तश्राव के कारण होना अंकित है।

दौरान विवेचना घटना में प्रयुक्त आला कत्ल खुर्पा सहअभियुक्त अशोक ने अपनी निशांदेही पर ट्यूबवेल के पास झाड़ियों से बरामद कराया है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य परिवारीजन के विरुद्ध नामजद अंकित करायी गयी है, जिसमें विवेचना प्रचलित है। आवेदिका/अभियुक्ता पर विरुद्ध अपनी सगी बहन शिवानी व उसके प्रेमी दीपक की हत्या कारित करने का अभियोग है, जो प्रथम दृष्ट्या गंभीर प्रकृति का है और ऑनर किलिंग से सम्बन्धित है। मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **शिल्पी** की ओर से मु०अ०सं० **10/2026,** जुर्म अंतर्गत धारा **191(2),191(3),103(1) बी0 एन 0 एस 0**, थाना **जैथरा**, जिला एटा के मामलें में निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः 13.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538